भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 4750

दिनांक 20 मार्च, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

भ्रूणों के अवैध लिंग निर्धारण पर अंकुश

4750. श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन करते हुए केन्द्र सरकार ने सभी राज्यों को देश में गैर-पंजीकृत और गैर-लाइसेंसी क्लीनिकों में उपयोग की जा रही अल्ट्रासाउंड मशीनों को जब्त करके भ्रूण के अवैध लिंग निर्धारण को रोकने के निर्देश जारी किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) एवं (ख): केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक परामर्शी जारी की है, जिसमें पीसी एवं पीएनडीटी अधिनियम, 1994 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों को लागू करने का निर्देश दिया गया है।

इस संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा की गई कार्रवाई का विवरण नीचे दिया गया है:

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत, मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पीसी एवं पीएनडीटी अधिनियम के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
- अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले ऑनलाइन विज्ञापनों की निगरानी और उन्हें हटाने में सहायता के लिए नोडल एजेंसी का गठन किया गया है।
- राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में जागरूकता और क्षमता निर्माण संबंधी गतिविधियाँ नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं।

- केंद्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड (सीएसबी), राज्य पर्यवेक्षी बोर्ड (एसएसबी) और केंद्र द्वारा राज्यों के समन्वय से आयोजित सामान्य समीक्षा मिशन (सीआरएम) दौरे जैसे विभिन्न संस्थागत तंत्रों के माध्यम से नियमित समीक्षा और मूल्यांकन किया जाता है।
- राज्य और जिला स्तर पर नियमित निगरानी और निरीक्षण दौरे किए जाते हैं।
- सूचना, शिक्षा और संचार, पक्ष समर्थन संबंधी गतिविधियाँ, जिनमें प्रिंट और डिजिटल मीडिया के माध्यम से जन जागरूकता अभियान शामिल हैं, व्यवहार परिवर्तन और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए की जाती हैं।
 - जन जागरूकता पैदा करने के लिए राष्ट्रीय बालिका दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष पूरे देश में मनाए जाते हैं।
